भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4073

गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>बायोगैस/अपशिष्ट संयंत्र</u>

4073. डॉ॰ निशिकांत दुबेः

श्री शंकर लालवानीः

श्रीमती क्वीन ओझाः

डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्यालः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बायोगैस/अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में संस्थापित क्षमता के साथ कार्यरत ऐसे संयंत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं/प्रोत्साहनों के माध्यम से देश में बायोगैस/बायो सीएनजी/विद्युत उत्पन्न करने के लिए बायोगैस/अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता हैः-

i. बड़े पैमाने पर बायोगैस संयंत्र/अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता।
ii. विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों जैसे 3 किलोवाट से 250 किलोवाट तक की क्षमता वाले विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन और 30 घन मी. से 2500 घन मी. प्रतिदिन वाले बायोगैस संयंत्र के तापीय ऊर्जा अनुप्रयोगों हेतु बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन (ऑफ-ग्रिड) और तापीय ऊर्जा अनुप्रयोग कार्यक्रम (बीपीजीटीपी) के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता।
iii. विद्युत उत्पादन के लिए ग्रिड संबद्ध परियोजनाओं के शुरुआती संस्थापन के लिए 5 प्रतिशत की दर से रियायती सीमा शुल्क और जीएसटी।
iv. अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मस्ट-रन स्टेटस।
v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में संशोधन किया है और मोटर वाहनों में अपशिष्ट से उत्पादित बायो सीएनजी के रूप में बायोगैस के उपयोग का प्रावधान शामिल किया है।

अब तक, देश में शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट पर आधारित बायोगैस/बायो सीएनजी/विद्युत के उत्पादन के लिए 7.128 मेगावाट की संचयी संस्थापित क्षमता के साथ 311 बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं (3 किलोवाट से 250 किलोवाट क्षमता में ऑफ ग्रिड परियोजनाएं) और 330.93 मेगावाट समतुल्य की संचयी क्षमता के साथ 201 अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। बीपीजीटीपी योजना के मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार निरीक्षण किए गए सैम्पल साइज के लगभग 90 प्रतिशत संस्थापित परियोजनाएं/संयंत्र कार्य करने की स्थिति में पाए गए हैं।

30.11.2019 की स्थिति के अनुसार देश में संस्थापित बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाओं (3 किलोवाट से 250 किलोवाट तक की क्षमता में ऑफ-ग्रिड परियोनजाएं) और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-**I** और अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'बायोगैस/अपशिष्ट संयंत्र' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.12.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4073 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I।

देश में 30.11.2019 की स्थिति के अनुसार बायोगैस आधारित संस्थापित विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार क्षमता तथा संख्या का ब्यौरा (3 किलोवाट से 250 किलोवाट तक के क्षमता में ऑफ ग्रिड परियोजनाएं)

क्र.सं.	राज्य का नाम	बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता और संख्या		
		संख्या	घन मी.	किलोवाट
1	आंध्र प्रदेश	33	4145	466
2	गुजरात	01	200	20
3	हरियाणा	02	2370	135
4	कर्नाटक	66	15,075	1570.5
5	महाराष्ट्र	44	7520	825.5
6	पंजाब	32	8510	922.5
7	राजस्थान	01	60	7.5
8	तमिलनाडु	38	20,970	1971
9	उत्तराखंड	10	625	73
10	उत्तर प्रदेश	34	4950	679
1 1	मध्य प्रदेश	05	650	60
12	केरल	38	1060	124
13	पश्चिम बंगाल	01	340	60
14	ओडिशा	01	30	6
15	तेलंगाना	5	2040	208
	कुल	**311**	**68,545**	**7128**

अनुलग्नक-II

'बायोगैस/अपशिष्ट संयंत्र' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.12.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4073 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

देश में 31.10.2019 को बायोगैस, बायो सीएनजी और विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों का संस्थापित क्षमता और संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

		बायोगैस उत्पादन संयंत्र	बायो सीएनजी उत्पादन संयंत्र	विद्युत उत्पादन संयंत्र	कुल
		(क)	(ख)	(ग)	(क+ख+ग)
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*घन मी./दिन (संयंत्र की संख्या)*	*किलोग्राम/दिन (संयंत्र की संख्या)*	*मेगावाट (संयंत्र की संख्या)*	*मेगावाट समतुल्य*
1	आन्ध्र प्रदेश	90,540 *(7)*	-	40.82(15)	48.365 (22)
2	बिहार	12,000 (1)	-	-	1.00 (1)
3	छत्तीसगढ़	-	-	0.33 (1)	0.33 (1)
4	दिल्ली	-	-	52.00 (3)	52.00 (3)
5	गुजरात	24,800(4)	28338 (5)	11.275 (10)	19.25 (19)
6	हरियाणा	-	4250 (3)	4.0 (2)	4.89 (5)
7	हिमाचल प्रदेश	12,000 (1)	-	-	1.00 (1)
8	कर्नाटक	58,060 (3)	9521 (3)	7.8(5)	14.62 (11)
9	केरल	2,760 (1)	-	-	0.23 (1)
10	मध्य प्रदेश	27,014 (5)	1,200 (1)	15.4 (3)	17.90(9)
11	महाराष्ट्र	1,09636 (10)	27,723 (4)	28.713 (15)	43.63 (29)
12	पंजाब	34800 (5)	1,847 (1)	14.92(7)	18.20 (13)
13	राजस्थान	-	4,000 (2)	3.0 (1)	3.83 (3)
14	तमिलनाडु	1,50218 *(28)*	-	10.45(6)	22.97 (34)
15	तेलंगाना	37,100 (5)	-	19.5(4)	22.59 (9)
16	उत्तर प्रदेश	62,320 (6)	2,000 (1)	44.63 (22)	50.24 (29)
17	उत्तराखंड	67,260 (5)	5,880 (2)	1.89 (2)	8.72 (9)
18	पश्चिम बंगाल	14,000(2)	-	-	1.17 (2)
	कुल	**7,02,508 (83)**	**84,759 (22)**	**254.73 (96)**	**330.93 (201)**

*****